सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No NCST/SER-722/MCOL/1/2023-RO-RNC Dated: 30.09.2024

To,

The Chairman & Managing Director,
Bharat Coking Coal Limited,
Coal Nagar, Dhanbad -826005 (Jharkhand)
E-mail: cmd.bccl.cil@coalindia.in

Sub:- Representation received from the applicant Shri Minilal Murmu, Minor Loader, Personal Number - 02971273, Godur Colliary, Kusunda Area, BCCL Jharkhand "Regarding economic, mental and social harassment due to not allowing to join duty by Gondudih Colliary Manager after transfer from Godur Colliary"

महोदय,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held on 12.09.2024 at 1:00 PM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Commission.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 011-24641640

Copy for information:-

1. Shri Minilal Murmu
   Village & PO - Karamatand,
   District - Dhanbad (Jharkhand)
   Dhanbad- 828201(Jharkhand)
   Mobile No- 9490974563
2. PS to Hon'ble Member (Dr. AL), NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2024 को दोपहर 01:00 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, में बैठक के कार्यवृत - श्री मिनीलाल मूर्मु, माइनर लोडर, BCCL झारखंड को नौकरी मे दुबारा पदस्थापित करने और बकाया भुगतान के संबंध में।

फ़ाइल: NCST/SER-722/MCOL/1/2023-RO-RNC
बैठक की तिथि : 12.09.2024, सुबह 01:00 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

अभ्यावेदक श्री मिनीलाल मूर्मु , ग्राम- करमातण्ड , पोस्ट- करमातण्ड , जिला - धनबाद (झारखंड) ने आयोग को 25-12-2022 के पत्र मे बताया है की गोधुर कोलियरी, BCCL में माइनर लोडर के रूप में काम करते थे और मार्च 1997 में खास कुसुंडा कोलियरी में स्थानांतरित किया गया था। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और तुरंत ज्वाइन नहीं कर सके। लगभग एक महीने बाद जब ठीक हो गए और खास कुसुंडा में रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो गोधुर कोलियरी से सूचना की कमी के कारण उन्होंने जॉइन नहीं करने दिया। बाद में मुझे बताया गया कि मुझे इसके बजाय गोंदुडीह कोलियरी में स्थानांतरित कर दिया गया है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद, गोंदुडीह कोलियरी ने उनकी ज्वाइनिंग स्वीकार नहीं की और प्रबंधन से लगातार उत्पीड़न और उपेक्षा का सामना करना पड़ा।

उपरोक्त प्रकरण को आयोग के पत्र दिनांक 16.1.2024 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, BCCL को 15 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा गया था।

प्रकरण के संबंध में BCCL, धनबाद से 25-03-2023 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मिनीलाल मुर्मू को BCCL में 11.04.1996 को नियुक्त किया गया था और गोधुर कोलयारी में तैनात किया गया था । वर्ष 1997 में उन्हे खास कुसुंडा कोलयारी में स्थानांतरित कर दिया गया और दिनांक 07.03.1997 के आदेश के तहत खास कुसुंडा कोलयारी में उनकी ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए गोधुर कोलयारी से मुक्त कर दिया गया । उक्त आदेश को कार्यालय आदेश दिनांक 14.03.1997 द्वारा संशोधित किया गया था और कर्मचारी को गोंदुडीह कोलयारी में ड्यूटी के लिए निर्देशित किया गया था । श्री मिनीलाल मुर्मू ने गोंदुडीह कोलयारी में अपनी ड्यूटी के लिए कभी रिपोर्ट नहीं की । 24 साल की समाप्ति के बाद खुद को मिनीलाल मुर्मू बताने वाले एक व्यक्ति ने 1997 से बिना किसी पहचान या ठिकाने के प्रमाण के ड्यूटी की अनुमति के लिए परियोजना अधिकारी, NGKC के

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

समक्ष एक अभ्यावेदन दिया है। उनको सूचित किया गया है की श्री मिनीलाल मुर्मू ने प्रतिष्ठान और कर्मचारी पर लागू कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड 17.8 के तहत रोजगार पर अपना ग्रहणधिकार खो दिया है। तदनुसार उनका नाम कंपनी के रोल से काट दिया गया।

प्रकरण के संबंध में श्री विनय रंजन टूडू , प्रबन्धक (कार्मिक), BCCL, धनबाद (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि अभ्यावेदक को दिनांक 04.08.2023 को भेजी गयी। आयोग ने इस मुद्दे पर 12.09.2024 को 1:00 बजे श्री समीरन दत्ता, CMD, BCCL, धनबाद और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है।

बैठक में CMD, BCCL, धनबाद के स्थान पर डाइरेक्टर(Personnel), BCCL उपस्थित थे। याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं थे। डाइरेक्टर (Personnel) ने आयोग को आश्वाशन दिया की वह इस मामले मे नए सिरे से जांच करेंगे तथा नियमअनुसार याचिकाकर्ता को फिर से नियुक्ति करने हेतु कार्यवाई करेंगे।

प्रकरण में विचार विमर्श के बाद, आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ की एवं 2 माह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सुझाव दिया–

- BCCL मामले की पुनः जांच करे और याचिकाकर्ता को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करें।
- BCCL द्वारा आवेदक द्वारा दी गयी सेवा के संदर्भ में समुचित राशि नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाई करें।

आशा लकड़ा
25/09/2024
(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2024 को 1:00 बजे NCST में, अभ्यावेदक श्री मिनीलाल मूर्मु, माइनर लोडर, व्यक्तिगत नंबर - 02971273, गोडुर कोलियारी, कुसुंडा एरिया, BCCL झारखंड से प्राप्त अभ्यावेदन " गोडुर कोलियारी से स्थानांतरण के पश्चात गोंडुडीह कोलियारी प्रबन्धक द्वारा ड्यूटी में जॉइन करने नही देने के संबंध के कारण आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

I	**BCCL**
	Shri M.K. Ramaiah
II	**Petitioner**
	-